

एफ. सं.ए28012/11/2020-एपीएआर  
भारत सरकार  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
(सीएचएस प्रभाग)

.....

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011  
दिनांक: , 2023

सेवा में,

सीएचएस की सभी प्रतिभागी इकाइयों के प्रमुख (अनुलग्नक I के अनुसार)

विषय: स्पैरो वेब पोर्टल पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करने वाले सीएचएस और डेंटल डॉक्टरों के 2022-23 के लिए ई-एपीएआर का पूरा करने- के बारे में।

महोदय/महोदया,

मुझे उपर्युक्त विषय का संदर्भ लेने और आपके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत तैनात सीएचएस और डेंटल अधिकारियों के 2022-23 की अवधि के लिए ई-एपीएआर स्पैरो पोर्टल पर शुरू करने के लिए तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध करने का निर्देश दिया गया है ताकि ई-एपीएआर को इस पत्र के अनुलग्नक में दर्शाई गई समय-सीमा के अनुसार रिकॉर्ड किया जा सके।

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्नक: यथोपरि

(विजय कुमार)  
अवर सचिव, भारत सरकार  
फैक्स सं.: 011-23063479

प्रतिलिपि प्रेषित:

- (i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के वरिष्ठ पीपीएस
- (ii) सचिव (स्वास्थ्य) के वरिष्ठ पीपीएस
- (iii) डीजीएचएस के वरिष्ठ पीपीएस
- (iv) अपर सचिव (स्वास्थ्य) के वरिष्ठ पीपीएस
- (v) एस एंड डीजी (सीजीएचएस) के पीएस
- (vi) निदेशक के पीएस (सीजीएचएस)
- (vii) संयुक्त सचिव के पीएस (प्रशासन)

(viii) एनआईसी को इस कार्यालय ज्ञापन को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

## अनुलग्नक I

1. सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, 9वीं मंजिल, ए-विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-110002
2. चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली- 110001
3. चिकित्सा अधीक्षक, वीएमएमसी और एस.जे. अस्पताल, नई दिल्ली- 110029
4. निदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और एसएसके अस्पताल, नई दिल्ली -110001
5. डीन, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली- 110002
6. निदेशक, गोविंद बल्लभ पंत स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, 1, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली- 110002
7. चिकित्सा अधीक्षक, गुरु तेग बहादुर अस्पताल, शाहदरा, दिल्ली- 110095
8. निदेशक, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
9. निदेशक, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, एफ-17, कड़कड़डूमा, दिल्ली- 110092
10. अपर निदेशक (मुख्यालय), केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना, सीजीएचएस भवन, सेक्टर -13, आरके पुरम, नई दिल्ली- 110066
11. अपर निदेशक, दक्षिण क्षेत्र, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना, सेक्टर-8, आर. के. पुरम, नई दिल्ली- 110022
12. अपर निदेशक, मध्य क्षेत्र, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, चित्रगुप्त रोड, आराम बाग, नई दिल्ली-110055
13. अपर निदेशक, उत्तर क्षेत्र, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना, सीजीएचएस भवन, न्यू राजिंदर नगर, दिल्ली - 110060
14. अपर निदेशक, पूर्वी क्षेत्र, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना, सीजीएचएस भवन, लक्ष्मी नगर, दिल्ली- 110092
15. अपर निदेशक सीजीएचएस, द्वितीय तल, संगम प्लेस सिविल लाइंस, इलाहाबाद- 211001
16. अपर निदेशक, सीजीएचएस, आश्रम रोड, बत्रा शोरूम गुजरात टूरिस्ट लेन के सामने, अहमदाबाद के सामने- 380009
17. अपर निदेशक, सीजीएचएस, एजी कॉलोनी, यूनिट-IV, भुवनेश्वर, उड़ीसा-751001
18. अपर निदेशक, सीजीएचएस, ई-आईआईसी, राजाजी भवन, बसंत नगर, चेन्नई- 600090
19. अपर निदेशक, सीजीएचएस, 249, नेपियर टाउन, शास्त्री ब्रिज चौक, यूटीआई बैंक के पास, जबलपुर- 482001
20. अपर निदेशक, सीजीएचएस, पुराना सीजीओ भवन (प्रतिष्ठा भवन) भूतल, साउथ विंग 101, महर्षि कर्वे मार्ग न्यू मरीन लाइन्स, मुंबई- 400020

21. अपर निदेशक, सीजीएचएस, जिंदल प्लाजा, बी-114-115, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010
22. अपर निदेशक, सीजीएचएस, केन्द्रीय स्वास्थ्य भवन, प्रकाशनगर, बेगमपेट हवाई अड्डे के निकट, हैदराबाद-500016
23. अपर निदेशक, सीजीएचएस, केंद्रांचल कॉलोनी भवन गुल मोहर विहार, पी.ओ जूही, कानपुर- 208022
24. अपर निदेशक, सीजीएचएस, 102, सोतीगंज, बेगम ब्रिज, मेरठ-250001
25. अपर निदेशक, सीजीएचएस, दूसरी मंजिल, स्वास्थ्य सदन, मुकुंदनगर, पुणे- 411037
26. अपर निदेशक, सीजीएचएस न्यू एजी कॉलोनी पद डोरंडा, रांची-934002
27. अतिरिक्त निदेशक, सीजीएचएस, होम्योपैथी डिस्पेंसरी कैंपस, सेक्टो-34, चंडीगढ़-760022
28. अपर निदेशक, सीजीएचएस, टीवी टॉवर स्क्वायर सेमिनरी हिल्स के पास, नागपुर- 440006
29. अपर निदेशक, सीजीएचएस, एके आजाद रोड, गोपीनाथ नगर, गुवाहाटी-781003
30. अपर निदेशक, सीजीएचएस, 2/117, मस्जिद लेन, केशवदासपुरम, तिरुवनंतपुरम- 695004
31. अपर निदेशक, सीजीएचएस 6, एस्लेनेड ईस्ट, ग्राउंड फ्लोर, कोलकाता-700069
32. संयुक्त निदेशक, सीजीएचएस, 19, नवयुग एन्क्लेव, इंदिरापुरम, फेज-3, मिलन विहार, जीएमएस रोड, देहरादून, उत्तराखंड-248006
33. अपर निदेशक, सीजीएचएस, तीसरी मंजिल, ई विंग, केन्द्रीय सदन, कोरमंगला, बैंगलोर-560034
34. अपर निदेशक, सीजीएचएस, केन्द्रीय सदन परिसर ब्लॉक बी, भूतल, सेक्टर-10, विद्याधर नगर, जयपुर-302023
35. अपर निदेशक, सीजीएचएस, पुलिस एल.टी.आई. भवन जहांगीराबाद, भोपाल, मध्य प्रदेश - 462008
36. अपर निदेशक, सीजीएचएस, 54, दक्षिण छज्जू बाग, आकाशवाणी के निकट, फजर रोड, पटना-800001
37. अपर निदेशक, सीजीएचएस, अपर निदेशक, नॉनग्रिम हिल्स, पी.ओ. लैतुमखराह, शिलांग-793003
38. निदेशक, लाल बहादुर राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, चार्लेविले, मसूरी उत्तराखंड- 248179
39. निदेशक, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, शिवरामपल्ली, तेलंगाना, हैदराबाद- 500052
40. निदेशक (ए एवं वी), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली -110011
41. निदेशक, आसूचना ब्यूरो, 35, सरदार पटेल मार्ग, नई दिल्ली-110003
42. निदेशक, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, 22 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली- 110054
43. निदेशक, परिवार कल्याण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, 332, एस.वी.पी रोड, खेतवाड़ी, मुंबई, महाराष्ट्र 400004
44. निदेशक, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़ एक्सटेंशन, नजफगढ़, दिल्ली, 110043
45. सहायक सचिव (एच), अंडमान और निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर- 744101
46. निदेशक, स्वास्थ्य सेवा लक्षद्वीप प्रशासन, कवरत्ती-682555

47. सदस्य (पी) के गोपनीय सचिव, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डाक विभाग, डाक भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
48. निदेशक, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली- 173204
49. निदेशक, **केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान स्टेशन** खड़कवासला, पुणे-411024
50. प्रिंसिपल, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जोसिप ब्रोज़ टीटो मार्ग, लाजपत नगर, नई दिल्ली - 110024
51. प्रिंसिपल, लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल, बाड़ा हिंदू राव, दिल्ली -110006
52. अवर सचिव, डब्ल्यू.आई. अनुभाग, श्रम और रोजगार मंत्रालय, जैसलमेर हाउस, मान सिंह रोड, नई दिल्ली- 110011
53. उप निदेशक, मुद्रण निदेशालय, 106-बी, बी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
54. उप महानिदेशक (सीएफआई एवं पी), प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, रोजगार कार्यालय भवन, आईएआरआई, पूसा परिसर, नई दिल्ली -110012
55. मुख्य अभियंता (ईजेड -1), केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, पहली एम.एस.>ओ भवन, 5<sup>वीं</sup> मंजिल, 234/4, ए.जे.सी बोस रोड, निजाम पैलेस, पश्चिम बंगाल, कोलकाता- 700020
56. महाप्रबंधक, महाप्रबंधक कार्यालय, शासकीय अफीम एवं क्षारीय कार्य, नीमच- 458441
57. संयुक्त निदेशक (पीपी) और सतर्कता अधिकारी, प्लांट प्रोटेक्शन निदेशालय, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, 923, आईटीआई रोड, ब्लॉक 4, गांधी कॉलोनी न्यू इंडस्ट्रियल टाउन, फरीदाबाद, हरियाणा -121001
58. डिप्टी सर्वेयर जनरल, सर्वे ऑफ इंडिया, हाथीबारकला, एस्टेट पोस्ट बॉक्स संख्या 37, देहरादून-248001

59. अवर सचिव (प्रशासन), परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन,  
दिल्ली-110011
60. निदेशक, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान 110, चितरंजन एवेन्यू, कोलकाता-700073

**एपीएआर तैयार करने के लिए समय अनुसूची**  
**(रिपोर्टिंग वर्ष – वित्त वर्ष)**

क्र.सं.	कार्रवाई का स्वरूप	किस तिथि तक पूरा किया जाना है
1	सभी संबंधितों को खाली एपीएआर प्रपत्र का वितरण (अर्थात् रिपोर्ट किए जाने वाले अधिकारी को जहां स्वयं मूल्यांकन किया जाना है और रिपोर्टिंग अधिकारी को जहां स्वयं मूल्यांकन नहीं किया जाना है)	31 मार्च (इसे एक सप्ताह पहले भी पूरा किया जा सकता है)
2	रिपोर्ट किए जाने वाले अधिकारी द्वारा रिपोर्टिंग अधिकारी को स्वयं मूल्यांकन प्रस्तुत करना (जहां लागू हो)	15 अप्रैल
3	रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा समीक्षा करने वाले अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।	30 जून
4	समीक्षा करने वाले अधिकारी द्वारा रिपोर्ट को पूरा करना तथा सीआर अनुभाग/प्रकोष्ठ के प्रशासन या प्राप्तकर्ता प्राधिकारी को भेजना, जहां प्रावधान किया गया हो।	31 जुलाई
5	प्राप्तकर्ता प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन, जहां प्रबंधन हो	31 अगस्त
6	(क) रिपोर्ट किए जाने वाले अधिकारी को प्रकटन, जहां प्राप्तकर्ता प्राधिकारी न हो (ख) (ग) रिपोर्ट किए जाने वाले अधिकारी को प्रकटन, जहां प्राप्तकर्ता प्राधिकारी न हो	1 सितंबर  15 सितंबर
7	एपीएआर के संबंध में प्रतिवेदन की प्राप्ति, यदि कोई हो तो	सूचना प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर
8	सक्षम प्राधिकारी को प्रतिवेदन का अग्रप्रेषण (क) जहां एपीएआर के लिए कोई प्राप्तकर्ता प्राधिकारी न हो (ख) जहां एपीएआर के लिए प्राप्तकर्ता प्राधिकारी है	21 सितंबर  06 अक्टूबर
9	सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिवेदन का निपटान	अभ्यावेदन प्राप्त होने की तिथि से एक महीने के भीतर
10	एपीएआर प्रकोष्ठ द्वारा प्रतिवेदन पर सक्षम अधिकारी के निर्णय के संबंध में सूचन	15 नवंबर

11	संपूर्ण एपीएआर प्रक्रिया की समाप्ति, जिसके बाद एपीआर को अंततः रिकॉर्ड के लिए लिया जाएगा।	30 नवंबर
----	--	----------